UPSP010096292021

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, सहारनपुर।

उपस्थित– निशान्त देव, उच्चतर न्यायिक सेवा (जे.ओ.कोड–यू.पी.1704)

सत्र वाद संख्या–2222/2021

राज्य .... **अभियोजन।**

बनाम

आरिफ पुत्र भूरा पाली निवासी एकता कालोनी गदर चौक के पास, थाना कुतुबशेर, जिला सहारनपुर ।

.............**अभियुक्त।**

मु0अ0सं0– 312/2021
धारा– 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थाना – कुतुबशेर, जिला– सहारनपुर।

निर्णय

1. पुलिस थाना कुतुबशेर, जिला सहारनपुर द्वारा अभियुक्त **आरिफ** के विरुद्ध मु0अ0सं0–312/2021, अन्तर्गत धारा– 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में में न्यायालय में आरोप पत्र विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

2. तहरीर/फर्द बरामदगी के आधार पर अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 06.9.2021 को मै उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह है०का0 390 राजीव भारद्वाज, का0 1465 अभिषेक कुमार व का0 1315 कपिल कुमार के अपने निजी वाहन से थाना हाजा से बहवाले रपट न0 39 समय 18.50 बजे रवाना होकर वास्ते गस्त देखरेख शान्ति व्यवस्था व चैकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति में थाना क्षेत्र में मामूर था कि गस्त करते, जब हम पुलिस वाले अम्बाला रोड से चौकी चौक की ओर जा रहे थे तो एक व्यक्ति रेंच के पुल पर बड़ा दिखाई दिया जो हम पुलिस वालो को आता देख सकपकाया और तेज कदमो से चौकी चौक की ओर चलने लगा शक होने पर हम पुलिस वालो ने घेर घोटकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए इस व्यक्ति को रेंच के पुल से करीब 15, 20 कदम की दूरी पर चौकी चौक की ओर पकड लिया, पकडे जाने पर नाम पता पूछा गया तो इसने अपना नाम **आरिफ** पुत्र भूरा पाली नि० एकता कालोनी गदर चौक के पास थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर बताया, इस तरह तेज कदमो से चलने के बारे में पूछा गया तो बताया कि साहब मेरे पास हाथ मे चरस है। इसलिए पकडे जाने के डर से मैं आपको देखकर तेज कदमो से चलने लगा था। इस पर मुझ उ0नि0 द्वारा पकडे गये व्यक्ति से कहा गया कि आपको विधिक अधिकार है कि आप अपनी जामातलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट से करा सकते है तो पकडे गये व्यक्ति ने कहा कि साहब जब आपने मुझे पकड ही लिया है तो आप ही मेरी तलाशी ले लीजिये मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मौखिक सहमति मिलने पर मुझ उ0नि0 द्वारा मौके पर ही धारा 50 एनडीपीएस एक्ट के तहत सहमति पत्र तैयार किया गया। जामातलाशी ली गयी तो इस व्यक्ति के दाहिने हाथ से एक पन्नी मे **चरस** बरामद हुई। चरस रखने का लाइसेन्स तलब किया गया तो दिखाने में कासिर रहा और गलती की माफी मांगने लगा। अभियुक्त को उसके जुर्म धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से अवगत कराकर समय करीब 20:00 बजे विधिवत हिरासत पुलिस मे लिया गया। बरामद चरस का वजन करने के लिए मुझ उ0नि0 द्वारा विवेचना

किट से कम्प्यूटर कांटा निकाल कर तौला गया तो बरामद चरस का कुल वजन **110 ग्राम** पाया गया। जिसमे से 20 ग्राम बतौर नमूना अलग निकालकर एक पन्नी मे रखकर कपडे मे सीकर व शेष चरस को उसी प्रकार पन्नी में रखकर कपडे मे सीकर अलग अलग सील सर्वे मोहर कर अलग अलग नमूना मोहर बनाये गये। तौल पर्ची मौके पर ही तैयार की गई। दौराने कार्यवाही माननीय सर्वोच्च न्यायालय/मानवाधिकार आयोग के आदेशो/निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। मौके पर आने जाने वाले व्यक्तियो के गवाही के लिए कहा गया तो आपसी भलाई बुराई के कारण कोई भी व्यक्ति गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी बिना नाम पता बताये चले गये। फर्द व गिरफ्तारी प्रपत्र मुझ उ0नि0 द्वारा मौके पर ही टार्च की रोशनी में तैयार कर हमराही कर्मचारीगण को पढ़कर सुनाकर गवाही गवाहन करायी गई। अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना थाने जाकर उचित माध्यम से परिजनो को दी जायेगी। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को देकर आलामात बनवाये जाते है।

3. वादी मुकदमा उप निरीक्षक राहुल कुमार की उक्त फर्द बरामदगी/तहरीर के आधार पर अभियुक्त आरिफ के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–312/2021 अन्तर्गत धारा–8/20 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, थाना कुतुबशेर, जिला सहारनपुर के अन्तर्गत पंजीकृत कर चिक किता की गयी तथा विवेचना उप निरीक्षक संजय कुमार को सुपुर्द की गयी।

4. विवेचक द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा गवाहों के बयान अंकित किये गये। विवेचना पूर्ण होने पर अभियुक्त आरिफ के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया।

5. अभियुक्त आरिफ जिला कारागार से न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया। अभियुक्तगण को धारा– 207 दं0प्र0सं0 के अनुपालन में अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी।

6. मामले में अभियुक्त आरिफ के विरुद्ध अन्तर्गत धारा–8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में आरोप दिनाँक 29.10.2025 को विरचित किया गया। जिसमें अभियुक्त ने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों से इनकार करते हुए विचारण की याचना की।

7. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्न साक्षी को परीक्षित कराया गया हैः–

अभियोजन साक्षी सं०	**साक्षी का नाम**	**साक्षी की भूमिका**
1	कां0 475 अंशुल कुमार	एफ0आई0आर0 लेखक

अन्य कोई साक्षी अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है।

8. अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज दाखिल किया गया हैः–

प्रदर्श सं०	**प्रदर्श का विवरण**	**साक्षी, जिसके द्वारा साबित किया गया**
प्रदर्श क–1	चिक एफ0आई0आर0	कां0 475 अंशुल कुमार, पी0डब्ल्यू0–1
प्रदर्श क–2	जी0डी0	कां0 475 अंशुल कुमार, पी0डब्ल्यू0–1
प्रदर्श क–3	फर्द बरामदगी	कां0 475 अंशुल कुमार, पी0डब्ल्यू0–1
प्रदर्श क–4	सहमति पत्र	कां0 475 अंशुल कुमार, पी0डब्ल्यू0–1
प्रदर्श क–5	गिरफ्तारी व सूचना प्रपत्र	कां0 475 अंशुल कुमार, पी0डब्ल्यू0–1
प्रदर्श क–6	तौल पर्ची	कां0 475 अंशुल कुमार, पी0डब्ल्यू0–1

9. मेरे द्वारा विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन0डी0पी0एस0 एक्ट) व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

10. अभियुक्त पर आरोप है कि दिनाँक 06.09.2021 को समय करीब 20:00 बजे स्थान रेन्च के पुल के पास, अंतर्गत थाना कुतुबशेर, जिला सहारनपुर में अभियुक्त को पुलिस थाना कुतुबशेर द्वारा संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा जामातलाशी में अभियुक्त के कब्जे से **110 ग्राम** अवैध **चरस** बरामद हुयी, जिसे अपने पास रखने का अभियुक्त के पास कोई वैधानिक लाईसेन्स नहीं था।

11. उक्त आरोप को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी **पी0डब्ल्यू0–1 कां0 475 अंशुल कुमार** को परीक्षित कराया गया। उक्त साक्षी द्वारा अपने सशपथ साक्ष्य में कथन किया गया है कि दिनांक 06.09.2021 को मैं थाना कुतुबशेर पर कां0 क्लर्क के पद पर तैनात था। उस दिन वादी मुकदमा एस0आई0 राहुल कुमार राजपूत की फर्द बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 312/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम आरिफ पुत्र भूरा पाली निवासी एकता कालोनी, गडर चौक के पास, कुतुबशेर, सहारनपुर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसकी चिक एफ0आई0आर0 मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर शब्द ब शब्द किता की गयी। पत्रावली में शामिल असल चिक एफ0आई0आर0 कम्प्यूटर द्वारा तैयार मेरे सामने है, जिस पर थाना प्रभारी की मोहर व हस्ताक्षर मौजूद हैं, शिनाख्त करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। उपरोक्त मुकदमे की जी0डी0 संख्या 44 की कम्प्यूटराईज्ड प्रति मेरे सामने है, जिसे मैं अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करता हूं, उपरोक्त मुकदमे का खुलासा मेरे द्वारा उसी समय रपट नं0 44 समय 21:35 बजे कर दिया था। पत्रावली में शामिल असल जी0डी0 मेरे सामने है, जिस पर थाना प्रभारी की मोहर व हस्ताक्षर मौजूद हैं, शिनाख्त करता हूं, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। इस मुकदमे के वादी मुकदमा उ0नि0 राहुल कुमार राजपूत के साथ मैंने कार्य किया है, उनको लिखते पढ़ते मैंने देखा है, उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को मैं पहचानता है। इस मुकदमे के वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त आरिफ को 110 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसकी मौके पर ही फर्द बरामदगी, सहमति पत्र, तौल पर्ची, गिरफ्तारी व सूचना प्रपत्र तैयार किये गये थे। पत्रावली में शामिल असल फर्द बरामदगी, सहमति पत्र, गिरफ्तारी व सूचना प्रपत्र व तौल पर्ची मेरे सामने मौजूद है, जिन सभी प्रपत्रों पर वादी मुकदमा राहुल कुमार राजपूत, हमराही पुलिस कर्मचारीगण व अभियुक्त आरिफ के हस्ताक्षर मौजूद हैं, शिनाख्त करता हूं, जिन सभी प्रपत्रों पर क्रमशः **प्रदर्श क–3, प्रदर्श क–4, प्रदर्श क–5** व **प्रदर्श क–6** डाले गये। उपरोक्त मुकदमे के सम्बन्ध में विवेचक द्वारा मेरे बयान भी अंकित किये गये थे।

12. अभियोजन साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 दिनाँक 27.06.2026 को अंकित किया गया। जिसमें अभियुक्त ने उसके पास से उक्त प्रकरण में 110 ग्राम अवैध चरस की बरामदगी को सही बताया गया। उसने बिना किसी भय या दबाव के स्वेच्छा अपना जुर्म स्वीकार किया है। साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 कां0 475 अंशुल कुमार के बयानों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहने का कथन किया।

13. अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि दिनाँक 06.09.2021 को समय करीब 20:00 बजे स्थान रेन्च के पुल के पास, अंतर्गत थाना कुतुबशेर, जिला सहारनपुर में अभियुक्त को पुलिस थाना कुतुबशेर द्वारा संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा जामातलाशी में अभियुक्त के कब्जे से **110 ग्राम** अवैध **चरस** बरामद हुयी, जिसे अपने पास रखने का अभियुक्त के पास कोई वैधानिक लाईसेन्स नहीं था। उक्त के आधार पर मुकदमा थाने पर पंजीकृत किया गया। उक्त कथानक को साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 द्वारा अपने सशपथ बयानों से समर्थित किया गया है। अभियुक्त द्वारा कोई ऐसा तर्क/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे अभियोजन कथानक संदेहास्पद प्रतीत हो।

14. इस प्रकार अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर लगाया गया आरोप संदेह से परे साबित किया गया है। जिस कारण अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

15. अभियुक्त आरिफ को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा– 8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम में **दोषसिद्ध** किया जाता है। अभियुक्त जिला कारागार से उपस्थित है। पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु भोजनावकाश बाद पुनः पेश हो।

दिनाँक – 30.06.2026

(निशान्त देव)
विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)
/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर। **(जे.ओ. कोड– यू.पी. 1704)**

पुनश्चः—

16. पत्रावली भोजनावकाश पश्चात् पेश हुई। अभियुक्त को दण्ड के प्रश्न पर सुना।

17. विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन0डी0पी0एस0 एक्ट) द्वारा कहा गया कि अभियुक्त पर आरोप सिद्ध हो चुका है। अतः अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

18. अभियुक्त आरिफ की ओर से तर्क दिया गया है कि वह अत्यंत गरीब है। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, वह दिनॉक 08.10.2025 से वर्तमान तक लगातार जिला कारागार में निरूद्ध है, उसके कब्जे से 110 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। इस प्रकार यह मात्रा वाणिज्यिक मात्रा से बहुत कम हैं। वह आईन्दा कोई अपराध नहीं करेगा। उसके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए जेल में बिताई गयी अवधि के दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

19. उक्त परिस्थितियों एवं प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्न दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

20. अभियुक्त **आरिफ** को सत्र वाद संख्या–2222/2021, राज्य बनाम आरिफ, सम्बन्धित मुकदमा अपराध संख्या–312/2021 अन्तर्गत धारा–8/20 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, थाना कुतुबशेर, जिला सहारनपुर के प्रकरण में **09 माह** के कठोर कारावास एवं 5,000/– रूपये जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। जुर्माने की धनराशि अदा न किये जाने पर अभियुक्त 07 दिन के कारावास की अतिरिक्त सजा को भोगेगा।

21. पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जाती है।

22. अभियुक्त का सजायाबी वारण्ट बनाकर जिला कारागार सहारनपुर प्रेषित किया जाये तथा अभियुक्त को अविलम्ब निर्णय की एक प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये।

23. माल मुकदमा बाद मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

24. पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनॉंक – 30.06.2026

(निशान्त देव)
विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)
/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर। **(जे.ओ. कोड– यू.पी. 1704)**

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनॉंक – 30.06.2026

(निशान्त देव)
विशेष न्यायाधीश (एन0डी0पी0एस0 एक्ट)
/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12,
सहारनपुर। **(जे.ओ. कोड– यू.पी. 1704)**

Digitally signed by Nishant Dev
Date: 2026.06.30 16:34:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Saharanpur